

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 371

6 Baishakh, 1941(S)

Ranchi, Friday, 26th April, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification 25th April, 2019

Notification No. - 9/2019 – State Tax(Rate)

S.O. No. 50 Dated 26th April, 2019 -- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (1) of section 16 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (herein after referred to as the "said Act"), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Department of Commercial Taxes, No.02/2019- State Tax (Rate), dated the 26th April 2019, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 36 dated the 26th April 2019 namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, in column 3, after clause 7, the following clause shall be inserted, namely: -

"8.Where any registered person who has availed of input tax credit opts to pay tax under this notification, he shall pay an amount, by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger, equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods as if the supply made under this notification attracts the provisions of section 18(4) of the said Act and the rules made there-under and after payment of such amount, the balance of input tax credit, if any, lying in his electronic credit ledger shall lapse.";

- (ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely: "(iii) the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, as applicable to a person paying tax under section 10 of the said Act shall, *mutatis mutandis*, apply to a person paying tax under this notification."
- 2. This notification shall be deemed to be effective from 1st April, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2019] By the order of the Governor of Jharkhand,

Prashant Kumar,Secretary-cum-Commissioner.

Note: -The principal notification No. 02/2019 - State Tax (Rate), dated the 26th April 2019 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 36 dated the 26th April 2019.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 25 अप्रैल, 2019

अधिसूचना सं0. 9/2019- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 50 दिनांक 26 अप्रैल, 2019-- (अ.)- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतिश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 02/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 26 अप्रैल 2019 जिसे एस. ओ. सं. 36 दिनांक 26 अप्रैल 2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी में, कॉलम (3) में, खण्ड 7 के पश्चात्, निम्निलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:"8. जहां कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने इस अधिसूचना के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय करने के विकल्प का उपयोग किया है वह इलेक्ट्रॉनिक निवेश खाते या इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर जैसा कि इस अधिसूचना के तहत की गई आपूर्ति, उक्त अधिनियम की धारा 18 (4) और उसके तहत बनाए गए नियम के प्रावधानों को आकर्षित करती हो तथा ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पड़ा हुआ इनपुट पर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा।"।
- (ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में खंड (ii) के पश्चात, निम्नलिखित खंड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(iii) झारखण्ड माल और सेवाकर नियमावली, 2017, जो कि ऐसे व्यक्ति पर लागू होते हैं जो कि उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो, यथा आवश्यक परिवर्तनों समेत, ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होंगे जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो ।"।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से लागू होगी ।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/03/2019] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार सचिव-सह-आयुक्त

नोट: - प्रधान अधिसूचना सं॰. 02/2019- राज्य कर(दर), दिनांक 26 अप्रैल 2019 को एस. ओ. सं. 36, के द्वारा झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई।
